संख्या-११६/२०१६/५२१७/52-1-2016-16(एम0एस0डी0पी0)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
620 इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक १३ दिसम्बर, 2016

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 99वीं इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 21 एवं 27 जुलाई, 2015 को हुई बैठक में बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम में जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-शाहपुर, बघरा एवं पुरकाजी में स्वीकृत 49 शौचालयों के निर्माण की **प्रथम किश्त** की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

करें।र्भ लेने का कष्ट विषय का सन्दउपर्युक्त

-2 क कार्य संख्यअल्प में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है किन्धइस सम्ब 201/(3)19/3-भारत सरकार के पत्र संख्या ,मंत्रालय2 ,0पी0पी-दिनांक 260.9201.5 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु कुल लागत रू 0**5.88** लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेजलखनऊ ,** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू 0**4.16** लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू 0 2,09 0रू) -/000,दो लाख नौ हजार मात्र (एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू 0 86 0रू) -/000,छियासी हजार मात्र 0कुल धनराशि रू अर्थात् (2,95 0रू) -/000,दो लाख पनचानबे हजार मात्र 0में प्राविधानित बजट रू 17-2016 य वर्षयोजना के लिए चालू वित्ती (4 0 बजट रूलाख के सापेक्ष उपलब्ध 0.0020.13 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिबन्धों/

-: कृति प्रदान करते हैंस्वी

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित लागत	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुजफ्फर नगर	वि०ख०-शाहपुर के ग्राम-पलड़ा में शौचालय का निर्माण	32	0.12	2.69	1.15	3.84	1.35	0.575	1.925
2	,,	वि०ख०-बघरा के ग्राम-बघरा में शौचालय का निर्माण	07	0.12	0.63	0.21	0.84	0.32	0.105	0.425
3	,,	वि०ख०-पुरकाजी के ग्राम-खेमपुर में शौचालय का निर्माण	10	0.12	0.84	0.36	1.20	0.42	0.18	0.60
		योग	**49**	**0.36**	**4.16**	**1.72**	**5.88**	**2.09**	**0.86**	**2.95**

1. अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज लखनऊ ,**के निवर्तन पर रखी जायेगी जिनके द्वारा अपने स्तर से उपयुक्त एवं सक्षम संस्था का चयन कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग 06 माह में कर लिया जाय। धनराशि का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इससे विचलन की दशा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा शौचालय का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था/योजना से सम्बन्धित मूल विभाग के अधिकारी उत्तरदायी होंगे। व्यय से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत धनराशि इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
5. यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. विकास खण्ड-शाहपुर, बघरा एवं पुरकाजी में स्वीकृत 49 शौचालयों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7. अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की गयी धनराशि का हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी।

9. इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

10. शौचालयों के निर्माण से सम्बन्धित स्थलों पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी स्थापित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

11- उक्त निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-जी0आई0 193/52-1-14-1(120) /09, दिनांक 16 मई, 2014 के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी से निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

12. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0110- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज यूनिट सहित सोकपिट का निर्माण(के075/रा0 25)-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामें डाला जायेगा।**

13- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-1-0बी/2016/1-/746दस में निहित प्राविधानों के अनुसार 2016-03-22 दिनांक ,2016/231-2016- जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Unic Code Hundpum G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-५२१७(1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विकास खण्ड-शाहपुर, बघरा एवं पुरकाजी में स्वीकृत 49 शौचालयों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य के लिए आपके विभाग से भी धनराशि न आहरित की गयी हो।
6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ/कोषाधिकारी मुजफ्फरनगर ।
9. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेजलखनऊ , को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त 49 शौचालयों का निर्माण समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने का कष्ट करें ।
10. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, शौचालयों के फोटोग्राफ्स एवं ग्रामों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित करने का कष्ट करें।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
12. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in